

-: निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद क्षेत्र के विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त पड़े निम्नलिखित स्टालों के संचालन हेतु दिनांक 22.09.2018 को निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदादाला को निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिमाह आफर की गई धनराशि के तीन माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में एवं ₹ 10,000.00 (दस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्नेष्टमनी के रूप में (दो अलग-अलग) जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। टेन्डर फार्म ₹ 24.00 नकद जमा करने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के दिन प्राप्त किया जा सकता है।

1. निविदा प्रपत्र कय करने की तिथि-13.09.2018 से 20.09.2018 को 15.00 बजे तक।
2. निविदा प्रपत्र बाक्स में डालने की तिथि व समय:- 22.09.2018 को 14.00 बजे तक।
3. टेन्डर खोलने का समय:- 15.00 बजे से

क्र0 स0	बस स्टेशन का नाम	स्टाल का नाम	न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्रति माह(कर अतिरिक्त)	संचालन की तिथि	स्टाल का क्षेत्र फल
1	जीरोरोड	बुक स्टाल	6,522.00	स्वीकृत तिथि से	6x8 फिट
2	जीरोरोड	फल स्टाल	3,250.00	स्वीकृत तिथि से	6x8 फिट
3	जीरोरोड	पान स्टाल	7,800.00	स्वीकृत तिथि से	6x8 फिट
4	बादशाहपुर	कैन्टीन	1,280.00	स्वीकृत तिथि से	15x12 फिट
5	सिविल लाइन्स	बुक स्टाल	8,500.00	स्वीकृत तिथि से	6x8 फिट
6	मिर्जापुर	इलेक्ट्रानिक गुडस शाप	1,500.00	स्वीकृत तिथि से	4x6 फिट
7	मिर्जापुर	बुक स्टाल	1,500.00	स्वीकृत तिथि से	4x6 फिट
8	मिर्जापुर	फल स्टाल	1,500.00	स्वीकृत तिथि से	4x6 फिट
9	मिर्जापुर	पान स्टाल	2200.00	21.11.2018 से	4x6 फिट

ढेके अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, परन्तु यदि परिवहन निगम द्वारा उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता है तो ढेके को निरस्त करने का अधिकार परिवहन निगम को होगा। किसी भी ढेके की निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदा कार्यवाही को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समक्ष अधिकारी में निहित है। निगम प्रशासन/निविदा समिति द्वारा आवन्टित किये गये निर्धारित स्थान/स्टाल पर ही ढेका चलाने के लिये अधिकृत होंगे, जो ढेकेदारों को मान्य होगा तथा स्वीकृत किये गये ढेके का सेवाकर नियमानुसार प्रति माह लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त ढेकेदारों को जमा करना होगा। ढेके के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कुल ढेका मूल्य का निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

निविदा की शर्तें पूर्ण न पाये जाने पर टेन्डर पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः निविदा की शर्तें भली-भाँति पढ़कर ही टेन्डर फार्म की औपचारिकताएं पूर्ण करें। अन्य शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। निविदा सूचना तथा निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का पूर्ण विवरण परिवहन निगम की वेबसाइट [www.upsrtc.com](http://www.upsrtc.com) पर उपलब्ध है। वेबसाइट को डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 24.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा10स0/मिर्जापुर0निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा, अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है, परन्तु विलम्ब से प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित कोई भी संशोधन (शुद्धि पत्र) केवल निगम की उपरोक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। उपरोक्त तिथियों में प्राप्त किसी स्टाल के संचालन का आफर यदि स्वीकृत हो जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा (उस स्टाल हेतु) डाला जाय।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक  
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद

पत्रांक 6657/जन/क्षे0प्र0 (इला0)/कैन्टीन/नीलामी/2018 दिनांक:- 07.09.2018  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रधान प्रबन्धक(विविध), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. सहायक प्रबन्धक(ईडीपी) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त नीलामी सूचना, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को निगम की वेबसाइट पर अप लोड करने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम.....।
4. सेवा प्रबन्धक, परिवहन निगम, इलाहाबाद।
5. समस्त स0क्षे0प्र0/डिपो प्रभारी, इलाहाबाद।
6. नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

राजपत्रित अधिकारी द्वारा  
प्रमाणित निविदा दाता का  
पासपोर्ट साइज का फोटो

## परिवहन निगम इलाहाबाद

उ0प्र0रा0स0प0नि0

कम0सं0 एएलडी 6657दि0  
07.09.2018

### ई टेन्डर फार्म

मूल्य रू0 24.00

निविदा फार्म कय करने का डी0डी0नं0 .....  
व दिनोंक .....

- 1.- निविदा दाता का नाम : .....
- 2.- पिता का नाम : .....
- 3.- स्थायी पता : .....
- 4.- ईमेल आईडी ..... मोबाइल नम्बर .....
- 5.- बस स्टेशन, क्षेत्र एवं जिस स्टाल हेतु निविदा दिया गया है, का विवरण : .....
- 6.- स्टाल संचालन की अवधि : .....
- 7.- प्रस्तावित प्रतिमाह लाइसेंस शुल्क(शब्दों में).....  
(अंकों में).....
- 8.- अर्नेस्ट मनी की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण : .....
- 9.- प्रतिभूति धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण : .....

उक्त दी गई सूचनायें सही हैं एवं यदि उसमें कोई सूचना गलत साबित होती है, तो इस हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूंगा।

टेन्डर दाता के हस्ताक्षर

नोट:- एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही स्टाल के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है, तो जमा अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति धनराशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का एक मात्र अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा एवं उसका निर्णय अन्तिम होगा। निविदा प्रपत्र नियमावली सहित, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।

## मुख्य शर्तें

निविदा की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :-

- 1- जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है, वे निविदा डालने के अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक सटाल हेतु साथ रू0 10,000.00 का अर्नेस्टमनी भुगतान करना होगा।
- 3- प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रतिमाह ऑफर की गई मासिक लाइसेन्स शुल्क के तीन माह के समतुल्य राशि का भी भुगतान करना होगा।
- 4- निविदा दाता को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल-चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर संलग्न करना होगा तथा अपनी फोटो(पासपोर्ट साइज की) किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 5- यदि एक व्यक्ति द्वारा कई स्टालो हेतु निविदा प्रपत्र भरा जाना है, तो उसे प्रत्येक स्टाल हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र भरना होगा।
- 6- अपूर्ण निविदा प्रपत्र विचार नहीं किया जायेगा।
- 7- परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही ठेका/स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल/ठेका संचालित करना होगा।
- 8- निविदा में प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव के साथ तीन गुना धनराशि प्रतिभूति के रूप में भुगतान नही किये जाने पर अर्नेस्टमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
- 9- स्टाल्स का निस्तारण निविदा में प्राप्त उच्चतम दरों के अनुसार किया जायेगा। प्राप्त निविदा, सक्षम अधिकारी की समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- 10- ठेके के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0 स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कुल ठेका मूल्य का निर्धारित राशि का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। स्टैम्प निविदा दाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर  
क्रमशः पेज 02 पर

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न स्टालों से सम्बन्धित इस नियमावली को परिवहन निगम स्टाल्स नियमावली, 2009 (2017 तक हुए सभी संशोधन सम्मिलित) कहा जायेगा एवं स्टालों का संचालन निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

**1-अ-स्टाल्स का विवरण**

निगम बस स्टेशनों पर निम्नलिखित स्टाल्स संचालित किये जा सकते हैं:-

1. जलपान गृह
2. जनरल मर्चेन्ट
3. बुक स्टाल
4. फल स्टाल
5. पान स्टाल
6. पी0सी0ओ0
7. साईकिल, स्कूटर/मोटर साईकिल/कार पार्किंग स्टैण्ड (अलग नियमावली है)।
8. मेडिसिन स्टोर
9. मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रानिक्स गुड्स
10. बिजनेस सेन्टर
11. एच0पी0एम0सी0 तथा पंजाब एग्री के "जूस डिस्पेंसिंग यूनिट"
12. पी0सी0डी0एफ0 के "पराग बूथ"
13. गुजरात को-आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि0 के "अमूल मिल्क पार्लर"

उपरोक्त में से क्र० संख्या 1 से 6 तक के स्टाल प्रत्येक बस स्टेशन पर रहेंगे। उक्त स्टालों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उत्पादित विशेष वस्तुओं के पृथक स्टाल खोले जा सकते हैं।

उक्त स्टालों के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक की संस्तुति पर अन्य कोई स्टाल अथवा एक ही प्रकृति के स्टाल की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

कैन्टीन संचालक को ट्राली युक्त वेण्डर्स रू० 5000/-प्रति माह (रू० पांच हजार) ट्राली रहित प्रत्येक वेण्डर्स को रू० 2000/-प्रति माह (रू० दो हजार) की दर से भुगतान किये जाने पर अनुमति प्रदान की जायेगी।

विभिन्न बस स्टेशनों पर न्यूनतम प्रथम पांच स्टाल्स घोषित किये जाने के साथ-साथ अत्यन्त छोटे बस स्टेशनों, जहाँ प्रतिदिन 30 बसों से कम प्रस्थान हो, पर पांच स्टाल्स को मिलाकर एक स्टाल सम्मिलित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार सम्मिलित स्टाल दिये जाने पर एक ही स्टाल संचालक होगा। इससे बस स्टेशनों पर सफाई, प्रकाश, शौचालय/मूत्रालय की सफाई रखने की अपेक्षा स्टाल संचालक से की जायेगी। ऐसा स्टाल संचालक बस स्टेशनों पर निर्धारित स्थान पर ही विभिन्न स्टाल्स का संचालन करेगा।

**ब-स्टाल का क्षेत्रफल:-**

सभी स्टाल के निर्धारित स्थान, उसका क्षेत्रफल आदि का पूर्व निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा और विधिवत् घोषित किया जायेगा, जिसकी जानकारी निविदादाता, सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।

**स-स्टाल्स अवधि:-**

समस्त स्टाल की संचालन अवधि तीन वर्ष की होगी। परन्तु तीन माह पूर्व नोटिस देते हुए ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। यदि अस्थायी आवश्यकताओं के रूप में दैनिक दर पर किसी स्थान विशेष के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं, तो ऐसे स्टाल्स की अवधि दिन प्रतिदिन के आधार पर नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार रहेगी।

**द-** किसी बस स्टेशन पर जहां फूड प्लाजा योजना के अर्नात फूड प्लाजा स्वीकृत हो/संचालित हो रहा हो, तो जलपान गृह एवं खानपान से सम्बन्धित अन्य कोई स्टाल्स का आवंटन नहीं होगा।

## 2—स्टाल निविदा की प्रक्रिया:—

**अ—** सक्षम अधिकारी द्वारा खाली चल रहे स्टाल्स एवं आगामी तीन माह में खाली होने वाले स्टालों की सूचना तथा सम्बन्धित स्टाल का आरक्षित मूल्य जिसका निर्धारण सक्षम समिति करेगी, जिनका टेण्डर किया जाना है, क्षेत्र के सक्षम अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा सम्बन्धित बस स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर निर्धारित टेण्डर तिथि से 15 दिन पूर्व प्रदर्शित की जायेगी। ऐसी सूचना निगम की वेबसाइट पर भी टेण्डर की तिथि से 10 दिन पूर्व उपलब्ध रहेगी।

**ब—** निविदा में प्राप्त अधिकतम दर के प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में निर्धारित समिति द्वारा अपने अन्तिम निणय से उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं को अवगत कराया जायेगा।

**स—** प्रत्येक स्टाल्स/दुकानों के आंवटन हेतु निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल्स एवं दुकानों हेतु ₹ 10000.00(दस हजार) तथा डिपो स्तर के लिए ₹ 2000.00 अर्नेस्टमनी जमा कराई जायेगी। निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए धरोहर राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी की धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार होगी। जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इलाहाबाद के पक्ष में इलाहाबाद में देय होना चाहिए।

**द—** प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिमाह ऑफर की गई धनराशि के तीन माह के समतुल्य राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में इलाहाबाद में देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ऐसी निविदा को जब्त घोषित करते हुए द्वितीय एवं तृतीय सर्वोच्च प्रदाता के प्रस्ताव को क्रमवार पूर्व प्रस्ताव की अर्नेस्ट मनी राशि जब्त करते हुए स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी की समिति को होगा।

## 3—निविदा प्रपत्र एवं नियमावली की उपलब्धता एवं कय की व्यवस्था:—

निविदा प्रपत्र परिवहन निगम की वेबसाइट [www.upsrtc.com](http://www.upsrtc.com) से डाउनलोड की जा सकेगी।

## 4—सक्षम अधिकारी:—

स्टाल्स की निविदा के लिए बस स्टेशनों की श्रेणी के आधार पर सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे:—

1. जनपदीय मुख्यालय एवं डिपो मुख्यालय पर स्थित समस्त बस स्टेशन—सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक।
2. उपरोक्त से भिन्न बस स्टेशन— डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक

## 5—निविदा समिति:—

डिपो स्तर पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में स्टेशन अधीक्षक/वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी तथा वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार की तीन सदस्यीय समिति रहेगी। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कामिक)/स्थानीय वरिष्ठतम सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की तीन सदस्यीय समिति रहेगी।

## 6—प्रतिभूति राशि:—

किसी भी स्टाल की प्रतिभूति राशि उस स्टाल के लाइसेंस शुल्क के तीन माह, के समतुल्य परन्तु अस्थायी अवधि के स्टाल्स के लिए एक माह के लाइसेंस शुल्क के समतुल्य होगी, जो निविदा के साथ ही जमा करनी होगी।

## 7—स्टाल्स की स्वीकृति का अधिकार:—

**अ—** क्षेत्रीय/डिपो स्तर पर अपनायी गई निविदा प्रक्रिया में यदि पूर्व में चल रहे नियमित स्टाल मूल्य के बराबर या अधिक मूल्य प्राप्त होता है, तो उनके स्टाल की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर पर प्रदान कर दी जायेगी।

**ब—** गत दरों से 20% तक कम दरों के प्रस्तावों पर (तीन प्रयासों के बाद) क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित समिति, स्वीकृत/अस्वीकृति हेतु निर्णय ले सकेगी। इससे अधिक अन्तर आता है तो मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स- अस्थायी आवश्यकताओं के अन्तर्गत दैनिक दर पर दिन प्रतिदिन के आधार पर स्टाल्स की व्यवस्था:-

अस्थाई आवश्यकताओं के दृष्टिगत किसी विशेष स्थान पर अल्प समय के लिए किसी स्टाल आदि के संचालन की आवश्यकता पड़ती है, तो क्षेत्रीय प्रबन्धक नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पूर्णतया अस्थाई स्तर रूप से दैनिक दर पर प्रस्ताव आमंत्रित कर अनुमोदन प्रदान करने की कार्यवाही, अस्थायी आवश्यकता की अवधि तक, परन्तु एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कर सकते हैं। यह स्टाल दिन प्रतिदिन के आधार पर होगा और किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त किया जा सकेगा। सम्बन्धित आदेशों एवं अनुबन्ध में यह प्राविधान निहित किया जाना आवश्यक होगा। कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल निगम मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

यदि उक्त अवधि के बाद भी आवश्यकता बनी रहती है, तो पुनः नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तरीय समिति के द्वारा की जा सकती है।

**8-बन्द स्टाल/नवसृजित स्टाल का निस्तारण:-**

पिछले छः माह या इससे अधिक अवधि से बन्द पड़े स्टाल एवं ऐसे बस स्टेशनों, जिन पर अभी तक कोई स्टाल नहीं चल रहा है, में किसी बस स्टेशन पर चलाये जाने वाले घोषित स्टाल्स को नवसृजित करके उक्त उन सभी स्टाल के लिए अलग-अलग आरक्षित मूल्य (विद्यमान परिस्थितियों में स्टाल हेतु प्राप्त होने वाला अधिकतम अनुमानित मासिक लाइसेंस शुल्क) सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

सक्षम अधिकारी की समिति आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए सम्बन्धित स्थान के बारे में निम्नलिखित बिन्दुओं का अध्ययन रखेगी।

1. स्टाल के कार्य स्थल पर यात्रियों के आवागमन की स्थिति।
2. बस स्टेशन के बाहर, संचालित स्टाल से सम्बन्धित दुकानों की स्थिति।
3. स्टाल न उठने का मुख्य कारण।

उपरोक्त बिन्दु पर विचार करते हुए सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति आरक्षित मूल्यों का निर्धारण करेगी एवं आरक्षित मूल्यों के सन्दर्भ में ऐसे बन्द पड़े/नवसृजित स्टाल्स के लिए प्रत्येक माह पर निर्धारित तिथि पर निविदा प्रक्रिया से इन स्टाल्स को पुनः संचालित करायेगी। ऐसे स्टाल्स के लिए समिति यदि उपयुक्त समझे तो सम्बन्धित स्थान पर ही जाकर स्टाल उठाये जाने की कार्यवाही कर सकती है।

**9-स्टाल बीच में समाप्त होने की दशा में:-**

यदि स्टाल संचालक बीच में ही स्टाल छोड़कर चला जाता है, तो प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी, परन्तु यदि स्टाल संचालक निर्धारित तीन माह की सूचना के उपरान्त स्टाल खाली करता है, तो उसके अन्य देयकों को प्रतिभूति राशि में से समायोजित करते हुए शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

**10-अनुबन्ध समाप्ति:-**

निगम एवं स्टाल संचालक दोनों के द्वारा 03 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी की समिति में निहित रहेगा।

**11-लाइसेंस शुल्क जमा करने की तिथि:-**

1. अनुबन्ध में स्टाल के संचालन हेतु घोषित तिथि से लाइसेंस शुल्क जमा करना अनिवार्य रहेगा।
2. प्रत्येक स्टाल संचालक द्वारा अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक लाइसेंस शुल्क अन्य देय शुल्कों (करों) सहित जमा की जायेगी।
3. 10 तारीख के बाद विलम्ब दिवस का आगणन 10वीं तारीख से होगा। प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु मासिक लाइसेंस शुल्क का 1/20 वां हिस्सा आर्थिक दण्ड स्वरूप जमा करना होगा।
4. एक माह से अधिक का विलम्ब अनुमन्य नहीं होगा तथा स्टाल आगामी 10 तारीख को स्वयमेव समाप्त मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

**12.-विक्रय किये जाने वाले सामान के मूल्य/गुणवत्ता का निर्धारण:-**

स्टाल संचालक के लिए आवश्यक होगा कि क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदित दर एवं गुणवत्ता के अनुरूप ही सामान विक्रय किया जाय। क्षेत्र के अन्तर्गत सभी स्टाल में विक्रय किये जाने वाले सामान, उसके मूल्य एवं गुणवत्ता का निर्धारण निम्नवत् गठित समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा मूल्य सूची के प्रदर्शन का दायित्व डिपों प्रबन्धक/स्टाल संचालक का होगा।

1-	क्षेत्रीय प्रबन्धक	अध्यक्ष
2-	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कार्मिक/संचालन)	सदस्य
3-	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)	सदस्य
4-	सम्बन्धित स्टाल संचालक के दो प्रतिनिधि	सदस्य

यह समिति प्रत्येक दिसम्बर माह में आगामी वर्ष के लिए उपरोक्त कार्यवाही करेगी तथा उपरोक्त की कार्यवृत्त मुख्यालय को भी सूचनार्थ भेजी जाएगी। समिति की संस्तुति अगले वर्ष की 1 जनवरी से प्रभावी होगी।

**13-स्टाल्स की गुणवत्ता एवं यात्री की संतुष्टि पर नियंत्रण:-**

स्टाल्स की गुणवत्ता एवं यात्री की संतुष्टि के लिए निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:-

13.1 स्टाल संचालक को एक परिवाद पुस्तिका रखनी अनिवार्य होगी, जिसका प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण स्टाल संचालक द्वारा स्वयं स्टेशन प्रभारी को कराया जायेगा तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक माह में कम से कम दो बार इसका निरीक्षण करेंगे।

13.2 प्राप्त किसी भी परिवाद/निरीक्षण रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुबन्ध समाप्ति का निर्णय लिया जा सकता है।

13.3 खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट अथवा नकली ब्राण्ड के खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचे जाने अथवा निगम परिसर में किसी संगेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टाल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए अनुबन्ध निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

13.4 उपरोक्त निर्णयों का प्रतिवेदन स्टाल संचालक द्वारा प्रधान प्रबन्धक,परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को किया जा सकता है, जिस पर समुचित कार्यवाही क्षेत्र विशेष के प्रत्यावेदन हेतु नमित प्रधान प्रबन्धक द्वारा की जायेगी। इस कार्यवाही पर दिये गये दण्ड का अन्तिम निर्णय तक स्थगन भी दिया जा सकता है परन्तु किसी भी प्रत्यावेदन पर अन्तिम निर्णय 15 दिन में कर दिये जायेंगे अन्यथा निचले स्तर का आदेश पुनः प्रभावी हो जायेगा, जब तक कि उसे लिखित रूप से आगे स्थगित न किया गया हो।

13.5 स्टाल्स की गुणवत्ता एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर सघन नियन्त्रण एवं अनुश्रवण के निमित्त प्रत्येक नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबन्धक/स0क्ष0प्र0 अपने कार्य क्षेत्र में निरीक्षण के समय इन स्टाल्स का भी निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे तथा यह कार्यवाही इस प्रकार आश्वस्त की जाय कि वर्ष में स0क्ष0प्र0 स्तर पर शत-प्रतिशत क्षेत्रीय स्तर पर कम से कम 50% तथा नोडल अधिकारी स्तर पर 20 स्टाल्स का निरीक्षण हो जाय।

13.6 सक्षम अधिकारी कार्यालय स्तर पर प्रत्येक स्टाल संचालक की एक पत्रावली अलग से खोली जायेगी, जिसमें उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों, धनराशि जमा करने के साथ उससे सम्बन्धित किसी भी बिन्दु के पत्राचार को रख जायेगा तथा यह पत्रावली उसके सम्बन्ध में लिए गए किसी भी निर्णय के समय प्रयोग की जायेगी।

**14-गुणवत्ता का अनुश्रवण:-**

समय-समय पर प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) द्वारा भी इन स्टालों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को भेजा जायेगा। इन निरीक्षणों में विशेषकर निम्न बिन्दु देखे जायेंगे:-

1. आवंटित स्थल से अधिक स्थान घेरना।
2. स्टाल पर स्वच्छता।

3. निर्धारित मूल्यों के सापेक्ष चार्ज की जा रही दरें।
4. फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था।
5. स्टाल का रख रखाव एवं निस्तारण।
6. परिवार पुस्तिका का रखरखाव एवं निस्तारण।
7. लाइसेंस शुल्क का समय से जमा होना।

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर स्टाल संचालक के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारी के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। बस स्टेशन के नियंत्रण अधिकारी/उपाधिकारी के विरुद्ध इन रिपोर्टों के परीक्षण के उपरान्त समुचित नियन्त्रण न रखने हेतु 13.2 एवं 13.3 के बिन्दुओं में दी गयी कार्यवाही की जायेगी।

आवंटित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल घेरे पाये जाने पर स्टाल संचालक से उस स्थान के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक सर्किल दर के आधार पर प्रतिमाह धनराशि वसूल की जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध समाप्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

#### **15-स्टाल के कार्मिकों की वर्दी:-**

ग्रे रंग की होगी।

#### **16-अन्य शर्तें:-**

1. स्टाल संचालक द्वारा निगम से आशवासित स्थल पर ही स्टाल का संचालन किया जाएगा। निगम की अनुमति से अस्थाई शेड इत्यादि बनाया जा सकता है, जिसे स्टाल की पर, स्वयं के खर्चे पर हटाना होगा। ऐसे अस्थाई शेड, काउन्टर इत्यादि बनाते समय सक्षम अधिकारी के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। स्टाल पर टाइल्स आदि स्वच्छता हेतु प्रयोग हेतु किया जाएगा।
2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित सभी टैक्स इत्यादि यदि कोई हो तो उसे स्टाल संचालक स्वयं भुगतान करेगा, स्थानीय संस्थाओं के नियमों का भी पालन उसे करना होगा।
3. स्टाल संचालक द्वारा विद्युत कनेक्शन स्वयं के खर्चे पर प्राप्त किया जायेगा एवं उपभोग की गयी विद्युत शुल्क का व्यापारिक दारों पर भुगतान स्टाल संचालक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
4. स्टाल संचालक सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री में स्वच्छता रखेगा एवं ऐसी व्यवस्था करेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो। सभी सामान जाली अथवा शीशे से बन्द शो केश में रखकर विक्रय करेगा।
5. निगम के कार्मिकों को 12.50 % कम दर पर सामान का विक्रय किया जायेगा।
6. संचालक अपने स्टाल की प्रत्येक माह में एक बार उपयुक्त स्तर की पुताई एवं रंगाई कराएगा। निगम द्वारा इसे कराने पर व्यय की गई धनराशि स्टाल संचालक से वसूल की जायेगी।
7. स्टाल संचालक द्वारा कोयले, लकड़ी, बुरादा आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
8. स्टाल संचालक स्टाल को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा।
9. स्टाल एवं उसके आसपास के स्थान को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने का दायित्व स्टाल संचालक को होगा।

उपरोक्त 1 से 9 की अवहेलना पर नियम संख्या 13.2 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

#### **17-निगम की क्षतिपूर्ति:-**

किसी भी सामान की बिक्री के कारण यदि कोई अथवा अन्य कठिनाई आती है या किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाद, क्षतिपूर्ति इत्यादि की कार्यवाही की जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व स्टाल संचालक का होगा।

**18-** शहर में कर्पूर लगने, हड़ताल अथवा नेचुरल विपदाओं के समय ऐसी परिस्थितियों में जो स्टाल संचालक के नियंत्रण से बाहर हों, जहां स्टाल संचालक का व्यवसाय 10 दिन से अन्यून अवधि तक प्रभावित हो गया हो, सक्षम अधिकारी की समिति, प्रभावित दिनों तक के लिए लाइसेंस शुल्क की छूट प्रदान कर सकेगी। समिति के इस सम्बन्ध में किये गये आदेश मुख्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।



**19-** निगम को यह अधिकार होगा कि वह स्टाल संचालक को किसी भी समय केवल ब्राण्ड विशेष के सामान का बिक्री के निर्देश जारी कर दें। स्टाल संचालक ऐसे निर्देश का अनुपालन करने को बाध्य होगा।

**20-पी0सी0ओ0स्टाल:-**

(क)-पी0सी0ओ0 बूथ हेतु 6×4 वर्गफुट की जमीन अनुमन्य की जायेगी।

(ख)-पी0सी0ओ0 बूथ पर अन्य कोई सामान का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(ग)-प्रत्येक बस स्टेशन पर अधिकतम दो पी0सी0ओ0 बूथ ही संचालित किये जायेगे।

(घ)-वर्तमान में जो पी0सी0ओ0 बूथ संचालित है, उनकी अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः निविदा की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। जहाँ पर दो से अधिक पी0सी0ओ0 बूथ संचालित है, वहाँ पर पुनः निविदा अधिकतम दो पी0सी0ओ0 बूथ के लिए ही की जायेगी।

परन्तु किसी बस स्टेशन पर द्वितीय पीसी0ओ0 का प्रस्ताव आमंत्रित करने/स्वीकृति करने पर निम्नवत् विचार करना आवश्यक होगा:-

1. प्रथम पी0सी0ओ0 बूथ की काल 800 यूनिट प्रतिमाह न्यूनतम की सीमा से अधिक होने पर ही द्वितीय पी0सी0ओ0 स्वीकृत किया जाये।
2. द्वितीय पी0सी0ओ0 के लिए बस स्टेशन पर ऐसा स्थान उपलब्ध होना चाहिए जहाँ से बसों के आगमन में असुविधा न हो।
3. ऐसे आवेदकों को प्राथमिकता दी जाये जो बस स्टेशन पर पी0सी0ओ0 के साथ फैंक्स एवं सेल्युलर फोन की सुविधा उपलब्ध करा सकें।

**21-अनुबन्ध हेतु स्टैम्प ड्युटी एवं अनुबन्ध निस्पादन:-**

1. ठेको के अनुबन्ध हेतु उ0प्र0 स्टाम्प एक्ट के अर्न्तगत कुल ठेका मूल्य का निर्धारित धनराशि का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा अन्यथा प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टैम्प निविदादाता/ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा, इस हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में अनुबन्ध में स्टाल संचालक/ठेकेदार को अपने खर्चे पर टंकित कराकर उपलब्ध कराना होगा।